

347/25

30

राजस्थान-सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

दिनांक-

ग्रामीण सेवा शिबिर

कैम्प काट शहर

2025/584

सरूपानाथ बनाम सरकार

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

निर्णय दिनांक:- 16/10/25

पटवारी हल्का बागा पिनागा भू अभिलेख निरीक्षक शहर की रिपोर्ट एवं तहसीलदार नादौती की अभिशंका के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व गाम बागा पिनागा के खाता संख्या 44, 125 में निम्नानुसार शुद्ध किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	का	खाता संख्या	खसरा नम्बर	अशुद्ध प्रविष्टि	शुद्धि उपरान्त प्रविष्टि	वि. विवरण
01	<u>बागा पिनागा</u>		<u>44,</u>		<u>रामलाल पुत्र जेका</u>	<u>सरूपानाथ पुत्र जेका</u>	
02			<u>125</u>				
03							
04							



उपखण्ड अधिकारी

नादौती

कैम्प कोर्ट शहर

दिनांक:-

क्रमांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01 तहसीलदार नादौती को निर्देशित किया जाता है कि सक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे।

02 पटवारी, पटवार हल्का बागा पिनागा

03 प्रार्थी सरूपानाथ

  
उपखण्ड अधिकारी  
नादौती